भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2979

12.03.2021 को उत्तर के लिए

वनीकरण कार्य हेतु निधि

2979. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री रवि किशन:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री चंद्र शेखर साहू:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत 2020-21 के दौरान वृक्षारोपण कार्य के लिए निधि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अब तक स्वीकृत और जारी निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों के बारे में कोई आकलन किया है जहां वार्षिक कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों में वृक्षारोपण का कार्य पूरा किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार किन राज्यों की केन्द्रीय सहायता लंबित है तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी राशि लंबित है; और

(ड.) राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश को शेष सहायता कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) जी हां। वर्ष 2020-21 के दौरान 10 राज्यों को 40.42 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) के तहत जारी की गई है जिनका राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) एनएपी योजना के दिशानिर्देशों में परियोजना की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन अंतनिर्हित है। इस योजना को तीन स्तरीय प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिसमें ग्रामीण स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियां (जेएफएमसी), मंडल स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफडीए) और राज्य स्तर पर राज्य वन विकास अभिकरण (एसएफडीए) शामिल हैं और सामाजिक लेखा परीक्षा, क्षेत्रीय निरीक्षण इत्यादि के माध्यम से उनके द्वारा निगरानी भी की जाती है। एसएफडीए परियोजना चक्र के दौरान प्रत्येक एफडीए स्कीम का स्वतंत्र मूल्यांकन करता है, जिसमें लोगों की भागीदारी, वनस्पति कवर पुनरूद्भवन की स्थिति और सुधार पर ध्यान दिया जाता है। योजना के तहत निधियों की स्वीकृति और उन्हें जारी करने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(घ) और (ड.) 2020-21 के दौरान कर्नाटक, मणिपुर, बिहार, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड और हरियाणा के राज्य वन विकास अभिकरणों (एनएफडीए) से एनएपी के प्रस्ताव मंत्रालय में प्राप्त हुए थे लेकिन योजना के तहत धन उपलब्ध नहीं होने के कारण उन पर विचार नहीं किया जा सका। उपरोक्त एसएफडीए द्वारा प्रस्तावित कुल लागत और केन्द्रीय हिस्सों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

वर्ष 2020-21 के लिए मंत्रालय में एनएपी के तहत एसएफडीए उत्तर प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****

अनुबंध-I

'वनीकरण कार्य हेतु निधि' के संबंध में दिनांक 12.03.2021 को उत्तर के लिए श्री सुधीर गुप्ता, श्री रविन्दर कुशवाहा, श्री रवि किशन, श्री सुब्रत पाठक, श्री राजेन्द्र धेड्या गावित, श्री बिद्युत बरन महतो, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक और श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2979 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2020-21 के दौरान एनएपी के तहत जारी की गई निधियों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**जारी की गई राशि (करोड़ रू. में)**
1	बिहार	0.80
2	छत्तीसगढ	9.88
3	हिमाचल प्रदेश	0.57
4	मध्य प्रदेश	0.57
5	ओडिशा	13.67
6	उत्तराखंड	1.06
7	मिजोरम	7.40
8	नगालैंड	4.27
9	सिक्किम	0.88
10	त्रिपुरा	1.33
	कुल	**40.42**

****

अनुबंध-II

'वनीकरण कार्य हेतु निधि' के संबंध में दिनांक 12.03.2021 को उत्तर के लिए श्री सुधीर गुप्ता, श्री रविन्दर कुशवाहा, श्री रवि किशन, श्री सुब्रत पाठक, श्री राजेन्द्र धेड्या गावित, श्री बिद्युत बरन महतो, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक और श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2979 के भाग (घ) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020-21 के दौरान मंत्रालय में एनएपी के तहत प्राप्त हुए प्रस्तावों का राज्य वन विकास अभिकरण वार (एसएफडीए) ब्यौरा

क्र.सं.	**एसएफडीए का नाम**	**कुल लागत (लाख रू. में)**	**केन्द्रीय हिस्सा (लाख रू. में)**
1	कर्नाटक	2006.86	1204.12
2	मणिपुर	180.57	162.51
3	बिहार	923.45	554.07
4	मेघालय	1877.00	1689.30
5	त्रिपुरा	644.41	579.97
6	आंध्र प्रदेश	873.75	524.25
7	गुजरात	533.36	320.02
8	झारखंड	600.00	360.00
9	हरियाणा	1500.00	900.00
	कुल	**9139.40**	**6294.24**

****